आवश्यक / महत्वपूर्ण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

पत्रांक:सीएसयूई– 32 /2021

दिनांक:मई 31, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्या–729/2021/सीएक्स–3 दिनांक 30 मई, 2021 एवं जिलाधिकारी, कानुपर नगर के पत्रांक: 2657/एस0टी0/2021 दिनांक 30.05.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में सरकारी कार्यालयों को खोले जाने से संबंधित नये दिशा–निर्देश जारी किये है।

शासन द्वारा निर्गत उक्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 01.06.2021 से विश्वविद्यालय के शिक्षण/शोध/प्रसार सम्बन्धी महत्पूर्ण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय ने निम्न निर्देश प्रदान किये है:–

1. विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्य आवश्यक कार्यो को सम्पादित करने हेतु उपस्थित रहेंगे। समूह क तथा ख के अन्य समस्त अधिकारी/वैज्ञानिक/शिक्षक आवश्यक कार्यो के निस्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थिति रह सकते हैं। कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिये कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुये रोस्टर तय किया जायेगा। कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को यह सुझाव दिया जाता है कि वह अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार तैयार करें कि ऐसे कर्मी क्रमानुसार (अल्टरनेट) दिवस में कार्यालय आयें परन्तु जिससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाय।
2. विश्वविद्यालय के मुख्य तथा वाहय परिसरों में शिक्षण कार्य हेतु आनलाइन कक्षाएं सम्पादित की जायेंगी।
3. कार्यालय अवधि में प्रत्येक कार्मिक द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों (साबुन से हाथ धोना/सेनेटाइज करना) का पूरा ध्यान रखा जाय।
4. रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय से संपर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है।
5. विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी अपने स्व–विवेकानुसार निर्णय लेंगे।

यह कार्यालय–ज्ञाप मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(करम हुसेन)
निदेशक,
प्रशासन एवं मानीटरिंग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर/इटावा/लखीमपुरखीरी।
2. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक।
3. कुलसचिव।
4. अर्थ नियंत्रक।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी
6. सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी/सम्पत्ति अधिकारी
7. भण्डार कय अधिकारी/सुरक्षा अधिकारी।
8. डा0 एस0के0 सिंह, चिकित्सा सलाहकार, पुरूष।
9. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
10. प्रभारी, ए0के0एम0यू को इस आशय से कि उक्त निर्देशों को विश्वविद्यालय की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(करम हुसेन)
निदेशक,
प्रशासन एवं मानीटरिंग